न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्र.सं. : 07/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती उच्छब कंवर पत्नी उगमसिंह, जाति राजपूत, . निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 14, खण्ड पाली 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिविजन पाली 3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई नई दिल्ली हाल पता 24, गजानन्द गृह निर्माण समिति, सुमेरपुर रोड़ पाली (राज.) 4. इंजीनियर एवं वाल्वर्स जैमन एसोसिएट्स गांधी नगर रेलवे स्टेशन पश्चिम, टोंक रोड़ जयपुर 5. प्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी एन.एच. 14 (पिण्डवाड़ा–पाली–ब्यावर) हाल पता मुख्यालय टैगोर नगर रोड़ पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.09.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा नेशनल हाईवे 14 पिण्डवाड़ा–पाली–ब्यावर फोर लाईन के लिए प्रार्थीया की खसरा संख्या 772 किस्म चाही दोयम के संबंध में पारित अवॉर्ड की पुनर्गणना कराने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थीयां अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया। वक्त बहस अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सतीश ओझा उपस्थित हुए।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि मौजा साण्डेराव के खसरा संख्या 769, खसरा संख्या 770, खसरा संख्या 771 एवं खसरा संख्या 772 कुल रकबा 7.05 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जिसमें से प्रार्थीया ने दिनांक 08.11.2010 को जवानाराम पुत्र मनीया का सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खरीद

Scanned with ACE Scanner

किया था, जो प्रार्थी की मालिकाना अधिकार की सम्पत्ति है। जैर वादग्रस्त भूमि पर ब्यावर–पाली–पिण्डवाड़ा फोर लाईन निकालने की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। उक्त भूमि में से खसरा संख्या 772 में से रकबा 1.769 व खसरा संख्या 717 रकबा 0.658 भूमि में से फोर लाईन निकलने की अधिसूचना जारी की गई एवं उक्त जैर आराजी में खसरा संख्या 772 की भूमि का नेशनल हाईवे ऑथॉरिटी द्वारा एन. एच. 14 के चार बाई छः लेनीकरण मार्ग हेतु भूमि अवाप्त की गई जिसका मुल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा करवाया गया। उक्त मूल्यांकन में संरचना मुल्यांकन बी.पी. खसरा संख्या 772 के संबंध में की गई सम्पूर्ण संरचना को आज दिनांक तक नहीं हटाई गई एवं मुआवजा राशि 4,26,923/– की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अतः ग्राम साण्डेराव के खसरा संख्या 772 व खसरा संख्या 771 की चाही भूमि व उस पर निर्मित निर्माण जो भूमि अप्रार्थी द्वारा अवाप्त की गई जिसमे प्रार्थीयां की अवाप्त की जाने वाली चाही भूमि व निर्माण का मुआवजा मार्केट राशि के आधार पर निर्धारण कराकर मुआवजा राशि वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनार्थ की भूमि व निर्माण का तय करावे। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे व अवाप्त सुदा भूमि का वास्तविक व उचित मुआवजा निर्धारण कर दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र में कथन झूठे व मनगढन्त है। प्रार्थीया द्वारा इस संबंध में संरचना बाबत् कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीया की संरचना का मुआवजा विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है तथा निर्धारित राशि के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने की प्रार्थीयां अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में पूर्व में श्रवणसुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह प्रकट आया कि प्रकरण में न्यायालय हाजा में पूर्व में बहस सुनी जाने के बाद आदेशिका दिनांक 27.05.2024 द्वारा प्रार्थी को जारी अवॉर्ड की सत्यप्रति तथा संरचना के रूप में क्या संशोधन चाहते है, चाहा गया परन्तु दिनांक 27.05.2024 को उक्त आदेश देने के बाद 07 पेशियों तक करीब चार माह की अवधि में कभी भी उक्त आदेश की पालना नहीं की गई। प्रकरण में संरचना का जो मुआवजा दिया गया है उक्त मुआवजे के निर्धारण 04 लाख 26 हजार 09 सौ 23 रूपये पर उच्छब कंवर के हस्ताक्षर है। अतएव अब इस पर अन्य किसी प्रकार की आपत्ति उठाने का अधिकार प्रार्थीयां को नहीं है तथा अधिगृहित भूमि की नियत अधिसूचना दिनांक को प्रचलित दर पृथक हो इस बाबत् कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है एवं संरचना तथा भूमि की कीमत बाबत् किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हेतु सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव प्रार्थीया का माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जैर प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner